पत्र संख्या-१३/वि०मं०-०८/२०२४ सा०—62—/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सत्यम सहाय,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पंचायती राज विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना-१५, दिनांक - 13 फरवरी, 2024

विषय - मा० श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत) स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के २०६ वें सत्र में पूछा जाने वाला ऑन-लाईन तारांकित प्रशन संख्या-१/२०६/४१६ के स्थानांतरण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय बिहार विधान परिषद् सचिवालय के बेवसाईट से प्राप्त ऑन-लाईन तारांकित प्रश्न संख्या-१/२०६/४१६ द्वारा इस विभाग के लॉगिन से प्राप्त है । आलोच्य प्रश्न संख्या-१/२०६/४१६ का विषयवस्तु "पंचायत सचिव एवं राजस्व कर्मचारी (हलका कर्मचारी) को अपने गृह जिला अथवा अपनी गृह कमिशनरी में स्थानांतरण करने,से संबंधित है," । उक्त विषय पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना से संबंधित रहने के कारण आलोच्य तारांकित प्रश्न की प्रति वांछित कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

अतः अनुरोध है कि तारांकित प्रश्न का उत्तर पंचायती राज विभाग से देने की कृपा की जाय साथ ही इसकी एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जाय । इस आशय की सूचना बिहार विधान परिषद् सचिवालय को दी जा रही है ।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 13/2/24

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक-१३/वि०मं०-०८/२०२४-सा०—62—/पटना-१५, दिनांक- 13 फरवरी, २०२४

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना के ऑन-लाईन तारांकित प्रश्न संख्या-१/२०६/४१६ के क्रम में प्रेषित तथा अनुरोध है कि उक्त ऑन-लाईन तारांकित प्रश्न संख्या-१/२०६/४१६ को सामान्य प्रशासन विभाग, पटना की सूची से विलोपित कर पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की सूची में रखने की कृपा की जाय ।

2. उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 13/2/24

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक-१३/वि०मं०-०८/२०२४-सा०—62—/पटना-१५, दिनांक- 13 फरवरी, २०२४

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को बिहार विधान परिषद् सचिवालय के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 13/2/24

विशेष कार्य पदाधिकारी

(1)

बिहार विधान परिषद प्रश्न

1/206/416

स्थानांतरण कब तक

03/02/2024 12/02/2024

*1/206/416 श्री घनश्याम ठाकुर(मनोनीत)

सामान्य प्रशासन

(क) क्या यह सही है कि सरकार पंचायत सचिव एवं राजस्व कर्मचारी (हलका कर्मचारी) को अपने गृह जिला अथवा अपनी गृह कमिश्नरी में स्थानांतरण करना चाहती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार स्थानांतरण कबतक करना चाहती है, नहीं तो क्यों?

D.No-620/ज़ि-13
12/02/2024